

29⁶/₂₂

पूरा भूभाग है ~~.....~~ का पक्ष है अ

पताकरी पेशा | सार्वधिया की ब्लोट से ब्लोट

अपस्थित नहीं। प्रार्थना व वकील प्रार्थना
में छूले न्यायालय में जोर-जोर से
आवाजें लगाई गई, फिर भी न्यायालय
में उपस्थित नहीं। अतः यह प्रार्थना पत्र
अदम पैरवी व अदम हाजरी में इसी
रूप पर निरस्त किया जाता है। पतावली
का तरीका तभी होकर दायित्व होता
हो।

(अभिलेख ५५)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना